

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 18]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 2 मई 2014—वैशाख 12, शक 1936

भाग ४

विषय-सूची

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) (1) अध्यादेश, | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, | (3) संसद के अधिनियम. |
| (ग) (1) प्रारूप नियम, | (2) अन्तिम नियम. | |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 26 अप्रैल, 2014 (वैशाख 6 शक संवत् 1936)

क्र. 6424-वि. स.-स्था.-14.—मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय सेवा अधिनियम, 1981 (क्रमांक 20, 1981) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्यपाल, मध्यप्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष के परामर्श से मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम-1990 में मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग द्वारा दी गई सहमति अनुसार निम्नलिखित संशोधन करते हैं:—

संशोधन

उक्त नियमों के नियम 17 के प्रथम परंतुक में रुपये 7,00,000/- (रुपये सात लाख) के स्थान पर रुपये 15,00,000/- (रुपये पन्द्रह लाख) प्रतिस्थापित किया जाये.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमाशंकर रघुवंशी, सचिव.